

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/1/2009-10/

दिनांक:-

भू-प्रबन्ध अधिकारी,
अलवर ।

विषय:- तहसील मुण्डावर जिला अलवर की भू-प्रबन्ध संक्रियाएं बन्द की राज्य सरकार की अधिसूचना धारा 106,107 एव 108 भिजवाने बाबत ।

प्रसंग:- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग का पत्र क्रमांक प.13(5) राज-1/2008 दिनांक 15.3.18 के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.3.2018 जारी कर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 3 ग्रामों को बन्द घोषित किया है जिसकी छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख 15 दिवस में राजस्व विभाग को सुपुर्द करवाकर सूचना भिजवावें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

ह०

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
अति० भू-प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 835
✓ प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की प्रति संलग्न प्रेषित है।

दिनांक:- 27-3-18

117/5
अति० भू-प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.-1/2008

जयपुर, दिनांक 15 MAR 2018

—: अधिसूचना :—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश दिये गये थे कि तहसील मुण्डावर जिला-अलवर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(5)राज/ग्रुप-1/2008 दिनांक 14.10.2008 के द्वारा प्रारम्भ किया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर को प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 115 ग्रामों का सर्वेक्षण/तस्मीम कार्य पूर्व में अधिसूचना दिनांक 05.04.2016, 7 ग्रामों का दिनांक 21.02.2017 एवं 3 ग्रामों का दिनांक 15.09.2017 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष रहे ग्रामों में से 3 ग्राम यथा नरेडी, मैनपुर व गांधीनगर के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य पूर्ण होने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 3 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

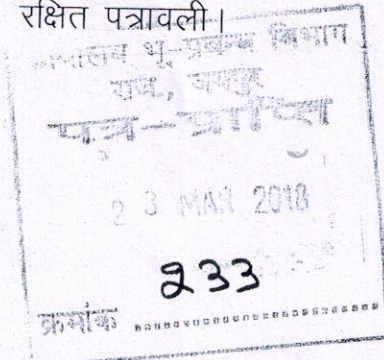
३०

(हरि मोहन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक फा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/1/2009-10/509 दिनांक 21.02.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।



Colo
संयुक्त शासन सचिव

सं.मु.
68/1
23/3/18

R.R.
23-3-18

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(5)राज.-1/2008

जयपुर, दिनांक 15 MAR 2018

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार द्वारा निर्देश दिये गये थे कि तहसील मुण्डावर जिला-अलवर के समस्त ग्रामों के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक प. 13(5)राज/ग्रुप-1/2008 दिनांक 14.10.2008 के द्वारा प्रारम्भ किया जाकर निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर को प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 115 ग्रामों का सर्वेक्षण/तरीमीन कार्य पूर्व में अधिसूचना दिनांक 05.04.2016, 7 ग्रामों का दिनांक 21.02.2017 एवं 3 ग्रामों का दिनांक 15.09.2017 द्वारा बन्द घोषित किया जा चुका है। शेष रहे ग्रामों में से 3 ग्राम यथा नरेडी, मैनपुर व गांधीनगर के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण का कार्य पूर्ण होने से इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त 3 ग्रामों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाता है तथा अपर भू-अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

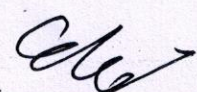
30

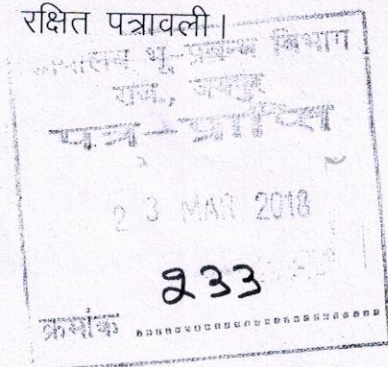
(हरि मोहन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
2. जिला कलक्टर, अलवर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक फा/भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/1/2009-10/509 दिनांक 21.02.2018 के क्रम में।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान पत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करा प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, अलवर।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव



स.मु.
6841
23/3/18

R.R.
23-3-18